UPFR010047482016

Comp./400106/2016 Nawabganj

Rinku Vs. Rajandre

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फर्रूखाबाद।

उपस्थितः–शैलेन्द्र सचान -------एच०जे०एस०।J.O.Code–UP 2406

परिवाद/विशेष सत्र परीक्षण संख्या–106/2016

रिन्कू उर्फ नीरज पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम पुठरी थाना–नवाबगंज जिला–फर्रूखाबाद।

बनाम

1– राजेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह पाल,

2– टिन्नी पुत्र मानसिंह पाल,

3– मानसिंह पुत्र रामदास पाल

समस्त निवासीगण ग्राम आसलपुर मौजा पुठरी थाना नवाबगंज, जिला फर्रूखाबाद।

धारा– 394 भा०द०सं०

थाना– नबावगंज।

जिला–फर्रूखाबाद।

निर्णय

1– परिवादी रिन्कू द्वारा परिवाद विपक्षीगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मानसिंह के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया, तदुपरान्त द०प्र०स० की धारा 200 एवं 202 के अन्तर्गत परिवादी व उसके साक्षियों के धारा 202 द०प्र०स० के तहत पी०डब्लू० 1 छोटे लाल व पी०डब्लू० 2 संजीव कुमार के बयान दर्ज करने के पश्चात प्रथम दृष्टया केस पाते हुए आदेश दिनांकित 24–04–2017 के माध्यम से

Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.08.10 16:42:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मानसिंह को धारा 394 भा०द०स० के तहत विचारण हेतु इस न्यायालय द्वारा तलब किया गया है।

2– दिनांक 28–11–2016 को न्यायालय में दाखिल परिवादपत्र के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 04.11.2016 को समय लगभग 11 बजे दिन परिवादी नगला आसलपुर मौजा पुठरी के सुनील का खेत जोतकर अपने ट्रैक्टर से घर वापस आ रहा था,तभी आसलपुर के राजेन्द्र सिंह, टिन्नी पुत्रगण मानसिंह व मानसिंह पुत्र रामदास पाल मिले। परिवादी ने अपनी जुताई के पांच हजार रूपये मांगे, इसी बात पर तीनों लोगों ने रूपये देने से मना कर दिया और मां बहिन की गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे। परिवादी ने गाली देने से मना किया, तभी उन तीनों लोगों ने परिवादी लात घूसों व लाठी डंडों से मारा पीटा तथा परिवादी की जेब से पांच हजार रूपये व मोबाइल निकाल लिया तथा जान माल की धमकी दी। परिवादी ने इस घटना की लिखित सूचना थाना नवाबगंज में दी, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 09.11.2016 को परिवादी फतेहगढ़ प्रार्थना पत्र देने आ रहा था, परंतु उपरोक्त तीनों मुल्जिमानों ने परिवादी को परिवादी के दरवाजे के सामने घेर लियाऔर मारपीट करके जबरदस्ती दो हजार रूपये छीन लिये। घटना के समय परिवादी के घर वाले व अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने घटना देखी व परिवादी को बचाया। घटना 10 बजे दिन की है। परिवादी ने दिनांक 10.11.2016 को पुलिस अधीक्षक फर्रूखाबाद को घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके पश्चात् दिनांक 11.11.2016 को अपनी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद में कराया तथा उसी दिन घुटने की चोट का एक्सरा कराया। परिवादी के दिये गये प्रार्थना पत्र पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण न्यायालय में परिवाद दाखिल कर रहा है।

3– अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आए तथा अपनी–अपनी जमानते करायी। अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मानसिंह के विरुद्ध धारा 394 भा०द०स० के तहत आरोप दिनांक 20–03–2018 को इस न्यायालय द्वारा विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिन्होनें आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

4– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी०डब्लू० 1 रिन्कू (वादी मुकदमा), पी०डब्लू० 2 छोटेलाल , पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार, पी०डब्लू० 4

फार्मासिस्ट/आर०के० सत्येन्द्र कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है।

5– अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य निम्नवत है–

क्र०स०	साक्षी	साक्षी का नाम	कागज स०/कागज का नाम	प्रदर्श स०
1.	PW1	रिन्कू	परिवादपत्र का०स० 3A/1 व 3A/2	**क–1**
2.	PW4	आर०के० सत्येन्द्र कुमार सिंह, फार्मासिस्ट	चुटहिल रिन्कू उर्फ नीरज की आघात आख्या का०सं० 7B/1 को देखकर डा० एस०पी० सिंह के हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए साथ में लाए MLPC रजिस्टर के क्रमांक 45 पर रिंकू उर्फ नीरज कुमार के अंकित मेडिकल से मिलान कर समान होना कहा गया।	**क–2**

6– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मानसिंह का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० अंकित किये गये।

6.1– **अभियुक्त मानसिंह** ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा साक्षी पी०डब्लू० 1 रिन्कू उर्फ नीरज, पी०डब्लू० 2 छोटेलाल के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि झूठी गवाही दी है। साक्षी पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि लूट की कोई घटना कारित नहीं हुई। पी०डब्लू० 4 आर०के० सत्येन्द्र कुमार सिंह, फार्मासिस्ट के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि फर्जी चोटें बनाई गयी है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूंठा फसाया गया है।

6.2– **अभियुक्त राजेन्द्र सिंह** ने अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में कहा है कि घटना झूठी है , कोई घटना कारित नही हुयी है। साक्षी पी०डब्लू० 1 रिन्कू उर्फ नीरज के साक्ष्य को गलत बताया है। पी०डब्लू० 2 छोटेलाल के साक्ष्य को असत्य बताया है। साक्षी पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि लूट की कोई घटना कारित

नहीं हुई है। पी०डब्लू० 4 आर०के० सत्येन्द्र कुमार सिंह फार्मासिस्ट के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि चोटें फर्जी बनायी गयी है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि मैं निर्दोष हूं। रंजिशन झूंठा फंसाया गया है।

6.3– **अभियुक्त टिन्नी** ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा साक्षी पी०डब्लू० 1 रिन्कू उर्फ नीरज, पी०डब्लू० 2 छोटेलाल, साक्षी पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि झूठी गवाही दी है। पी०डब्लू० 4 आर०के० सत्येन्द्र कुमार सिंह फार्मासिस्ट के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि चोटें फर्जी बनायी गयी है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि मैं निर्दोष हूं। रंजिशन झूंठा फंसाया गया है।

7– बचाव पक्ष की तरफ से मौखिक साक्ष्य में डी०डब्लू० 1 साक्षी सर्वेश पाल को परीक्षित कराया गया है ।

8– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 रिंकू** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 04.11.16 की समय 11 बजे दिन की है . वह अपने ट्रैक्टर से सुनील निवासी आसमपुर का खेतजोत कर आ रहा था। आसमपुर गांव के पास पुलिया पर पहुंचा तो वहां राजेन्द्र , टिन्नी व मानसिंह मिले , उसने उनसे अपनी जुताई के पांच हजार रुपये मांगे, उन्होने रुपये देने से मना कर दिया तथा गाली गलौज करने लगे ।उसने गाली देने से मना किया तो मारपीट करने लगे तथा उसके मोबाइल व 5000/–रुपये उसने छीन लिये। उसके शोर पर गांव के लोग आ गये तो मुल्जिमान जान माल की धमकी देकर भाग गये । वह घटना की रिपोर्ट करने थाने गया उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। दिनांक 09.11.16 को वह एस पी साहब को प्रार्थना पत्र देने आ रहा था तो उक्त मुल्जिमानो ने उसे अपने दरवाजे पर घेर लिया तथा गाली गलौज कर मारपीट कर उसके 2000/–रु० छीन लिये । उसके शोर पर गांव के संजीव व छोटेलाल आदि लोग आ गये एवं मुल्जिमान माल की धमकी देते हुए व गाली गलौज करते हुए भाग गये। दिनांक 10.11.16 को उसने एस पी साहब को प्रार्थना पत्र दिया 11.11.16 को उसने अपनी चोटो का मेडिकल आर एम एल अस्पताल फर्रूखाबाद में कराया तथा दिनांक 28.11.16 को कार्यवाही न होने पर माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जो पत्रावली मे शामल का०स० 3A/1 लगायत 3A/2 है । गवाह ने इस पर लगी अपनी फोटो व इस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की इस पर प्रदर्श क 1 डाला गया।

वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 रिंकू द्वारा स्वंय की जिरह में कथन किए गए है कि राजेन्द्र उसे असलपुर की पुलिया पर मिले थे, राजेन्द्र की मोटर साइकिल की टक्कर उसके ट्रैक्टर से नही हुयी थी। राजेन्द्र के साथ मनोज , टिन्नी एवं मान सिंह पहले से मौजूद नही थे, झगडा होने पर आए थे। झगडा जुतायी के पैसे मांगने को लेकर हुआ था। उसका मोबाइल नोकिया का था , मोबाइल नम्बर उसे याद नही है। मोबाइल उसने नबावगंज से खरीदा था किन्तु उसकी रसीद उसके पास नही है। जिस समय झगडा हुआ था उस समय उसके पास पांच हजार रूपये थे जो राजेन्द्र ने छीन लिए थे। राजेन्द्र व उसके बीच आपस में मारपीट हुयी थी तथा राजेन्द्र के चोट नही आयी थी। दिनांक 09–11–2016 को एस०पी ०साहब को प्रार्थना पत्र देने जा रहा था। दिनांक 10–11–2016 को उसने डाक्टरी करायी थी तथा मुकदमा डाला था।

9– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 छोटेलाल** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 4.11.16 को उसका पुत्र रिंकू सुनील निवासी आसलपुर का खेत जोतकर वापस घर आ रहा था। समय करीब 11 बजे दिन आसलपुर के राजेन्द्र सिंह , टिन्नी व मानसिंह उसके पुत्र रिंकू को रास्ते में मिले और गाली गलौज करने लगे । उसके बेटे रिंकू ने गाली गलौज करने से मना किया तो तीनो लोगो ने गाली गलौज , मारपीटकर उसके पुत्र की जेब से पांच हजार रुपये व मोबाइल लूट लिया । घटना की सूचना उसके पुत्र द्वारा थाना नवावगंज को दी गयी परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। दिनांक 09.11.16 को उपरोक्त घटना के संबंध में कार्यवाही के लिए फतेहगढ आ रहा था, घर से लगभग 10 बजे बाहर निकला , दरवाजे पर ही राजेन्द्र टिन्नी व मानसिंह ने उसे घेर कर मारपीट की व गाली गलौज किया था । उसके बेटे को जाने से मारने की धमकी दी तथा बेटे की जेब से दो हजार रुपये निकाल लिये। इस घटना को उसने व संजीव कुमार ने देखा था। उन लोगो के ललकारने पर मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर भाग गये । मारपीट में उसके पुत्र रिंकू के शरीर पर चोटे आयी थी जिस का डाक्टरी परीक्षण लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद मे हुआ था। इससे पहले भी न्यायालय में उसके बयान हुए थे तथा उसने यही बयान दिया था।

वादी के पिता छोटे लाल पी०डब्लू० 2 द्वारा कहा गया है कि पहली घटना दिनांक 04–11–2016 की है जिसमें दोनो लोगों में मारपीट व झगडा हुआ था। लडाई

झगडा पैसे के लेन देने को लेकर हुआ था। रिंकू के ट्रैक्टर से राजेन्द्र की मोटर साइकिल नही टकरायी थी। पहली घटना मानसिंह के घर के सामने हुयी थी। पहली घटना के समय वह मौजूद नही था। दूसरी घटना उसके दरवाजे पर हुयी थी तथा वह मौके पर मौजूद था। घटना के समय संजीव व गांव के 10–12 लोग उसके दरवाजे पर मौजूद थे। उसके बेटे का मेडिकल दिनांक 11–11–2016 को हुआ था। दूसरी बार की घटना में गालीगलौज व मारपीट हुयी थी किन्तु उसने रूपये व मोबाइल छीनते हुए नही देखा था।

10– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 04.11.16 को उसके चचेरा भाई रिन्कू गांव के सुनील के खेत की जुताई करके आ रहा था तभी समय करीब 11 बजे दिन आसनपुर निवासी राजेन्द्र सिंह , टिन्नी पुत्र मानसिंह व मान सिंह पुत्र रामदास मिले , जिनसे रुपये को लेन देन को लेकर कहां सुनी हो गयी । रिन्कू ने उसे बताया था की उसकी जेब से 5000/–रुपये छीन लिये गये है । रिन्कू द्वारा थाने में सूचना की गयी । थाने पर रिपोर्ट न लिखपाने के कारण न्यायालय द्वारा मुकदमा किया गया था। जिसमे उसका भी बयान हुए थे। उसके बाद दिनांक 09.11.16 को सुबह लगभग 10 बजे रिन्कू को घर के दरवाजे पर घेर कर मारपीट व झगडा किया था जिसमें उसने बीच बचाव किया था। पत्रावली पर साक्षी ने अपना बयान दिनांकित 25.01.2017 को देखकर कहा की घटना के संबंध में उसने यह बयान न्यायालय में दिया था। जिस पर उसकी फोटो व निगरानी अंगूठा व हस्ताक्षर मौजूद है। जिनकी वह पुष्टि करता है। उसके सामने कोई लूट की घटना नहीं हुई थी।

पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में लूट की घटना से इंकार किए जाने पर अभियोजन के आग्रह पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा जिरह का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में साक्षी पी०ड ब्लू० 3 द्वारा कथन किया गया है कि रिंकू के चोटे आयी थी तथा उसका मेडिकल हुआ था किन्तु उसके द्वारा लूट की घटना नही देखी गयी थी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कहा गया कि घटना उसके सामने नही हुयी थी उसे घटना के बाद रिंकू ने बताया था।

11– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 फार्मासिस्ट/आर०के० सत्येन्द्र कुमार सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज वह दिनांक 19.10.16 से 24.12.16 तक का मूल रजिस्टर मेडिगो लीगल रजिस्टर लेकर उपस्थित है। जिसमे

दिनांक 11.11.16 समय 12:20Pm पर चोटहिल रिंकू उर्फ नीरज कुमार उम्र 25 वर्ष छोटेलाल निवासी ग्राम पुठरी थाना नवावगंज जिला फर्रूखाबाद के शरीर पर आयी छ चोटो का विवरण अंकित है। यह मेडिकल डा० एस पी सिंह के हस्तलेख में है जिसकी वह पुष्टि करता है। चोटहिल रिन्कू उर्फ नीरज कुमार की आघात आख्या पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 7B/1 को देखकर व अपने साथ लाये मेडिको लीगल रजिस्टर के क्रमांक संख्या 45 पर अंकित चोटहिल रिंकू उर्फ नीरज का विवरण एक समान है जिसको साक्षी ने प्रमाणित कर पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया।

चुटहिल वादी मुकदमा रिंकू के मेडिकल प्रपत्रों को साबित करने वाले साक्षी फार्मासिस्ट सत्येन्द्र कुमार सिंह पी०डब्लू० 4 द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि उसके सामने रिंकू का मेडिकल नही हुआ था। मेडिको लीगल रजिस्टर में रिंकू को 06 चोटे आना अंकित है। उसके द्वारा मेडिकल करने वाले डाक्टर एस०पी०सिंह के साथ काम किया गया है। डा० एस०पी० सिंह द्वारा उसके सामने रिंकू का मेडिकल नही किया गया था तथा न ही मेडिकल प्रपत्र तैयार किए गए थे।

12— **बचाव साक्षी डी०डब्लू० 1 सर्वेश पाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि वह इस के परिवादी रिंकू उर्फ नीरज व अभियुक्तगण राजेन्द्र आदि को भली भांति जानता है। इन लोगों के मध्य दिनांक 04—11—2016 को कोई मारपीट व लूट आदि की घटना नही हुयी। इनका पहले कभी आपस में लेन देन का मामला रहा होगा जिसकी वजह से झूठा यह परिवाद दाखिल किया है। दिनांक 04—11—2016 समय लगभग 11 बजे वह अपने घर पर मौजूद था। इस प्रकार की कोई घटना घटित नही हुयी है।

बचाव साक्षी सर्वेश पाल डी०डब्लू० 1 द्वारा स्वंय की जिरह में कथन किया गया है कि उसके घर से परिवादी रिंकू का घर करीब आधा किमी० दूर है। घटना के समय रिंकू के पास ट्रैक्टर था तथा वह अपने ट्रैक्टर से अपने खेत के अलावा भाडे पर अन्य खेतों की जुताई भी करता था। उसे जानकारी नही है कि रिंकू की अभियुक्तगण से जुताई के रूपयों को लेकर लेन देन था अथवा नही। वह न्यायालय में गवाही देने स्वंय अपनी इच्छा से आया है।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क

13– अभियोजन की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चुटहिल वादी मुकदमा रिंकू द्वारा परिवादपत्र , द०प्र०स० की धारा 200 के तहत दिए गए बयान एवं न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल व पांच हजार रूपये दिनांक 04–11–2016 को निकाल लिए गए थे तथा जब वह इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से करने दिनांक 09–11–2016 को जा रहा था तब उसके घर के सामने ही मुल्जिमानों ने उसके साथ पुनः मारपीट की तथा जबरदस्ती दो हजार रूपये छीन लिए। वादी के मेडिकल को प्रदर्श क 2 के रूप में साबित किया गया है जिसमें वादी के 06 चोटे आना अंकित है। वादी के पिता पी०डब्लू० 2 छोटे लाल द्वारा वादी के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किया जाना तथा लूटपाट किए जाने के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य दिया गया है। अन्य साक्षी पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार द्वारा भी दिनांक 09–11–2016 को सुबह दस बजे रिंकू को उसके घर के दरवाजे पर अभियुक्तगण द्वारा घेर कर मारपीट किया जाना कहा गया है किन्तु अभियुक्तगण के दबाव में लूट की घटना से इंकार किया गया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए।

बचाव पक्ष का तर्क

14– बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा रिंकू द्वारा स्वंय के धारा 200 द०प्र०स० के बयान में मात्र दिनांक 04–11–2016 की घटना के बारे में बताया गया है। दिनांक 09–11–2016 की घटना के सम्बन्ध में कुछ भी नही कहा गया है। वादी के पिता द्वारा स्वीकार किया गया है कि दिनांक 04–11–2016 की घटना के समय वह मौके पर उपस्थित नही था तथा दिनांक 09–11–2016 को लूटपाट की घटना से इंकार किया गया। अन्य साक्षी पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार द्वारा दिनांक 09–11–2016 को अभियुक्तगण द्वारा रिंकू के साथ मारपीट किया जाना कहा गया है किन्तु लूटपाट की घटना से इंकार किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी०डब्लू० 3 द्वारा घटना के समय उपस्थित न रहना तथा घटना के बारे में वादी द्वारा उसे बताया जाना कहा गया है। बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण पूर्ण रूप से निर्दोष है, किसी प्रकार की

मारपीट अथवा लूटपाट की घटना नही हुयी है। जुतायी के पैसे के विवाद के कारण वादी द्वारा झूठे कथानक के आधार पर उनके विरूद्व परिवाद दाखिल कर मुकदमा दर्ज कराया गया है तथ उसके पिता द्वारा भी अपने पुत्र के कथानक को समर्थन प्रदान करने के लिए न्यायालय में झूठे कथन किए गए है। अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण

15– प्रस्तुत प्रकरण में यह निष्कर्ष पारित किया जाना है कि अभियोजन पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 394 भा०द०स० के तहत युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही।

16– प्रस्तुत प्रकरण में दो अलग–अलग घटनाओ दिनांकित 04–11–2016, 09–11–2016 के सम्बन्ध में आरोप विरचित किया गया है।

17– वादी मुकदमा रिंकू द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 04–11–2016 को दिन के 11:00 बजे जब वह अपने ट्रैक्टर से सुनील का खेत जोतकर वापस आ रहा था तब आसमपुर गांव के पास पुलिया पर राजेन्द्र, टिन्नी व मान सिंह मिले, उसने अपनी जुताई के पांच हजार रूपये मांगे तो उन्होनें ने देने मना कर दिया तथा गाली गलौज करने लगे। उसने जब गाली देने से मना किया तो उसके साथ मारपीट करने लगे तथा उसका मोबाइल व पांच हजार रूपये छीन लिए। शोर पर गांव के कई लोग आ गए जिस पर मुल्जिमान जान माल की धमकी देकर भाग गए। पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने परिवादपत्र तथा न्यायालय में हुए साक्ष्य में उन व्यक्तियों के नाम नही बताए गए है जोकि दिनांक 04–11–2016 की घटना के समय वहां पर आ गए थे। वादी के पिता पी०डब्लू० 2 छोटे लाल द्वारा भी स्वंय की जिरह में यह स्पष्ट कहा गया है कि दिनांक 04–11–2016 की घटना के समय वह मौके पर मौजूद नही था। अन्य साक्षी पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कहा गया है कि दिनांक 04–11–2016 की घटना के सम्बन्ध में उसे रिंकू द्वारा बताया गया था। वादी द्वारा दिनांक 04–11–2016 को स्वंय के साथ मारपीट किया जाना कहा गया है किन्तु स्वंय का मेडिकल नही कराया गया है। वादी द्वारा दिनांक 04–11–2016 की घटना आसमपुर गांव के पास स्थित पुलिया पर होना कहा गया है जबकि उसके पिता पी०डब्लू० 2 छोटे लाल द्वारा उक्त घटना

मान सिंह के घर के सामने होना कहा गया है। वादी द्वारा मोबाइल की रसीद दाखिल नही की जा सकी है तथा न ही तथाकथित लूटे गए मोबाइल में प्रयोग किए जा रहे सिम का नम्बर बता सका। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 04–11–2016 को समय 11:00 बजे दिन में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रिंकू के साथ मारपीट किया जाना तथा उसका मोबाइल व पांच हजार रूपये छीन लिए जाने की घटना संदेहास्पद है। अभियोजन दिनांक 04–11–2016 की घटना के सम्बन्ध में आरोपित आरोपों को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

18– वादी द्वारा अपने परिवादपत्र एवं न्यायालय में हुयी मुख्य परीक्षा में दिनांक 09–11–2016 की घटना के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया गया है कि जब दिनांक 04–11–2016 की घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करने हेतु तथा फतेहगढ जाने के लिए अपने घर से निकला तब अभियुक्तगण ने उसे दरवाजे पर घेर लिया तथा गाली गलौज कर मारपीट कर दो हजार रूपये छीन लिए। वादी के पिता पी०डब्लू० 2 छोटे लाल द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा उसके घर के बाहर दिनांक 09–11–2016 को सुबह लगभग दस बजे उसके बेटे रिंकू के साथ मारपीट किया जाना, गाली गलौज किया जाना तथा जान से मारने की धमकी दिया जाना एवं उसकी जेब से दो हजार रूपये छीन लिए जाने का कथन किया गया है किन्तु स्वंय की जिरह में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिनांक 09–11–2016 को हुयी दूसरी घटना में अभियुक्तगण द्वारा उसके बेटे के साथ मारपीट व गाली गलौज की गयी थी किन्तु अभियुक्तगण द्वारा उसके बेटे से रूपये छीनते हुए नही देखा गया था। पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार द्वारा भी यह साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 09–11–2016 को सुबह दस बजे अभियुक्तगण द्वारा रिंकू को घेर कर मारपीट व झगडा किया गया था जिसका बीच बचाव उसने किया था। पी०डब्लू० 3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 09–11–2016 को लूटपाट की घटना होने से स्पष्ट मना किया गया है।

19– पी०डब्लू० 4 फार्मासिस्ट सत्येन्द्र कुमार सिंह द्वारा न्यायालय के आदेश पर दिनांक 19–10–2016 से लेकर 24–12–2016 तक का मूल मेडिको लीगल रजिस्टर प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि पत्रावली में वादी रिंकू उर्फ नीरज का मेडिकल प्रपत्र 7B/1 मे दर्शायी गयी चोटे एवं मेडिको लीगल रजिस्टर के क्रम सं० 45 पर अंकित चुटहिल रिंकू उर्फ नीरज के चोटों का विवरण एक समान है। इस साक्षी द्वारा मेडिकल करने

वाले साक्षी डा० एस०पी० सिंह के हस्तलेख की पुष्टि भी साक्ष्य के दौरान की गयी है। पी०डब्लू० 4 द्वारा न्यायालय में दिए गए साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि दिनांक 11–11–2016 को वादी रिंकू का मेडिकल डा० राम मनोहर लोहिया पुरूष चिकित्सालय फर्रूखाबाद में हुआ था जिसमें उसके शरीर पर 06 चोटे साधारण प्रकृति की दर्शायी गयी है तथा उक्त चोटों दो दिन पूर्व की होना अंकित है जोकि घटना दिनांक 09–11–2016 की घटना से मेल खाती है।

20– प्रस्तुत प्रकरण में चुटहिल साक्षी वादी मुकदमा रिंकू, दिनांक 09–11–2016 की घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू० 2 छोटे लाल व पी०डब्लू० 3 संजीव कुमार द्वारा इस सम्बन्ध मे विश्वसनीय साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 09–11–2016 को वादी रिंकू के घर के सामने वादी को घेरकर उसके साथ मारपीट की गयी है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से दिनांक 09–11–2016 को अभियुक्तगण द्वारा रिंकू से दो हजार रूपये छीन लिए जाने का तथ्य संदेह से परे साबित नही होता है।

21– उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रिंकू के साथ लूटपाट किए जाने के कथानक को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अभियोजन अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रिंकू के साथ दिनांक 09–11–2016 को सुबह दस बजे वादी के घर के सामने मारपीट किए जाने के तथ्य को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्व भा०द०स० की धारा 394 के तहत आरोप विरचित किया गया है , लूटपाट की घटना साबित न होने के कारण अभियुक्तगण को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 394 भा०द०स० के अपराध हेतु दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा। धारा 394 भा०द०स० के आरोप के अन्तर्गत वादी को साधारण उपहति पहुचाया जाना समाहित है। अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट कर उसे साधारण चोटे पहुचायी गयी है। अभियुक्तगण को धारा 323 भा०द०स० के अपराध हेतु दोषसिद्व किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

22– विशेष सत्र परीक्षण सं० 106/2016 में अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मान सिंह को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 394 थाना–नबावगंज जिला फर्रूखाबाद के

मामलें में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मान सिंह को धारा 323 भा०द०स० के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मान सिंह को धारा 323 भा०द०स० के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है जो कि तीन वर्ष से कम के दण्ड से दण्डनीय है। अतः अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मान सिंह को धारा 389 द०प्र०स० के प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए जिला करागार प्रेषित किए जाने के स्थान पर 50000/– 50000/–के निजी बन्ध पत्र पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि दिनांक 10–08–2026 को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के समय न्यायलय में उपस्थित रहेगें।

दिनांक– 05.08.2026

(शैलेन्द्र सचान)
तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,
फर्रूखाबाद।
J.O.Code–UP2406

<u>11-08-2026</u>

<u>सजा के प्रश्न पर सुनवाई एवं आदेश</u>

23- सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली आज पेश हुयी। दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मान सिंह न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं। सजा के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

24- दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मान सिंह को धारा 323 भा०द०स० के तहत दोषसिद्ध किया गया है जिसमें एक वर्ष का कारावास अथवा अर्थदण्ड , दोनो की सजा का प्रावधान है।

25- विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सजा के बिन्दु पर तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मान सिंह को धारा 323 भा०द०स० के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अधिकतम सजा से दण्डित किया जाए।

26- बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। इस मामलें के अतिरिक्त अन्य किसी मामलें में पूर्व में दोषसिद्ध नही हुए है, न ही उनके विरूद्ध कोई मुकदमा विवेचनाधीन व विचाराधीन है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण विवाहित है तथा अपने परिवार के एक मात्र कमाने वाले सदस्य है। दोषसिद्ध अभियुक्त मान सिंह की उम्र लगभग 62 वर्ष है तथा अभियुक्त राजेन्द्र संह व टिन्नी की उम्र क्रमश 32,40 वर्ष है। परिवार के सभी सदस्य दोषसिद्ध अभियुक्तगण पर आश्रित हैं । दोषसिद्ध अभियुक्तगण दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्को के साथ अभियुक्तगण को अपराधियों की परिवीक्षा अधि० 1958 धारा 4 का लाभ प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

27- **<u>अपराधियों की परवीक्षा अधि० 1958 की धारा 4 यह प्रावधानित करती है कि</u>**- दोषसिद्ध को कारावास की सजा देने के बजाए दोषसिद्ध के द्वारा व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानत प्रपत्रों के साथ अथवा उसके बिना प्रस्तुत करने की शर्त पर परिवीक्षा पर अधिकतम 03 वर्ष के लिए अवमुक्त किया जाए तथा साथ ही यह शर्त लगायी जाए कि उक्त अवधि में दोषसिद्ध शांतिपूर्वक एवं अच्छे व्यवहार के साथ जीवन व्यतीत करेगे। उक्त आदेश उन परिस्थितियों में ही पारित किया जाएगा जहाँ पर मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान न हो। धारा 4 के तहत प्रस्तुत विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायालय

द्वारा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा तथा उसके पूर्व न्यायालय इस बात से संतुष्ट होगी कि दोषसिद्ध अथवा उसके जमानतदार का न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले स्थान पर निश्चित निवास अथवा नियमित व्यवसाय हो अथवा दोषसिद्ध का परिवीक्षा की अवधि में न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले स्थान पर निवास करना संभाव्य हो।

28– प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में किसी मामलें में दोषसिद्ध न होने का कथन किया गया है जिसका विरोध अभियोजन की तरफ से नही किया गया है, न ही अभियोजन की तरफ से दोषसिद्धि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण जनपद फर्रूखाबाद के ग्राम आसलपुर मौजा पुठरी थाना नबावगंज में निवास करते है तथा न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि सम्पूर्ण परिवीक्षा अवधि में इसी जनपद में निवास करना संभाव्य है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा 10 वर्ष से लम्बित विचारण में न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा पूर्व नियोजित घटना कारित नही की गयी है बल्कि घटना तात्कालिक रूप से घटित हुयी है। न्यायालय के मत में दोषसिद्ध अभियुक्तगण को धारा 4 अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

29– दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजेन्द्र सिंह, टिन्नी व मान सिंह को धारा 4 अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत 03 वर्ष की परिवीक्षा पर इस शर्त के साथ अवमुक्त किया जाता है कि वे अंकन 50,000/–,50,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक एक प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष आज से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगे।

30– दोषसिद्ध को हिदायत दी जाती है कि वह उक्त अवधि में शांति व्यवस्था बनाये रखेगे तथा अच्छा बर्ताव करेगे। दोषसिद्ध इस आशय की अण्डरटेकिंग भी 30 दिन के अन्दर जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगे।

31– दोषसिद्ध अभियुक्तगण को सचेत किया जाता है कि यदि उनके द्वारा व्यक्तिगत बन्धपत्र, जमानत प्रपत्रों एवं अण्डरटेकिंग का कोई भी उल्लंघन परिवीक्षा अवधि के अन्दर किया जाता है तो दोषसिद्ध को तलब कर उन्हें सजा के बिन्दु पर सुनने एवं दण्डादेश पारित करने पर विचार किया जाएगा।

32– इस आदेश की प्रति दोषसिद्ध को नियमानुसार प्रदान की जाए।

33– इस आदेश की एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

34– दोषसिद्ध को उनके इस अधिकार के बावत सूचना दी गयी वे इस निर्णय व आदेश के विरुद्ध निर्धारित समयसीमा में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं तथा इस हेतु उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा अधिवक्ता की सुविधा पाने का अधिकार है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त नियमानुसार अभिलेखागार में प्रेषित हो।

दिनांक– 11.08.2026 (शैलेन्द्र सचान)

तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,

फर्रूखाबाद।

J.O.Code–UP2406

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 11.08.2026 (शैलेन्द्र सचान)

तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,

फर्रूखाबाद।

J.O.Code–UP2406